न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना , जिला जालोर

कैम्प–ग्राम पंचायत देवड़ा

दिनांक 19.05.202023

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 344 / 2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. माधोसिंह पुत्र मूलसिंह 2. आम्बसिंह पुत्र मुलसिह जाति राजपूत निवासी मूली , चितलवाना		1. मूलसिंह पुत्र दानसिंह फौत के कायम मुकाम क. संतोष कंवर पुत्री मूलसिंह 2 उकसिंह पुत्र मूलसिंह 3 नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह 4 विजयसिंह पुत्र मूलसिंह जातियान राजपूत निवासीगण मूली तहसील चितलवाना 5. भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना

दावा अन्तर्गत धारा 40 , 53 , 88 एवं 188 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थितः–

1. माधोसिंह , आम्बसिंह वादीगण।
2. उकसिंह नरपतसिंह , विजयसिंह अप्रार्थीगण ।
3. भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना ।

निर्णय

दिनांक 19.05.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40,53,88 एवं 188 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की सरहद मौजा मूली में पैतृक सम्पति के खेत खसरा संख्या 179,180,180 / 1007,185,185 / 1008,410,411 एवं 482 जुमले रकबा 16.01 हैक्टर भूमी के आये हुए है जिसमें से खसरा संख्या 410,411 एवं 482 जुमले रकबा 4.72 हैक्टर मुझ वादी संख्या 01 माधोसिंह तथा खेत खसरा संख्या 179,180,180 / 1007 जुमले रकबा 6.38 हैक्टर वादी संख्या 02 आम्बसिंह को जरिये बंटवाड़ा आज से करीब 20 वर्ष पूर्व पिता मूलसिंह ने दी थी जिसकी लिखित नहीं की गई थी । जो इकरारनामा द्वारा हम वादीगण को दिनांक 02.08.2002 को लिखित में दी गई । हम वादगण के तीन भाई प्रतिवादी संख्या 02 से 04 [illegible] के साथ रहते है जिसकी जईफ उम्र के होने से मानसिक स्थिरता कम [illegible] रही है तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 हमें पूर्व में बंटवाड़ा [illegible] करवाना चाहते है जो न्यायसंगत नहीं है । अतः हम वादीगण [illegible] करवाने के हकदार होने से मुझ वादी संख्या 01 के नाम कुल रकबा 4.87 हैक्टर व वादी संख्या 02 कुल [illegible].38 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा जरिये डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमा[illegible]

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को वास्ते सुनवाई नोटिस जारी किये गये । पत्रावली विचाराधीन के दौरान ग्राम देवड़ा में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 दिनांक 19.05.2023 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की हमारे आपस में लिखित बंटवाड़ा दिनांक 25.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी चितलवाना)

2021 जो नोटेरीशुदा है के अनुसार राजीनामा होकर समझौता हो गया है अतः उक्त लिखित बंटवाड़ा दिनांक 25.07.2021 अनुसार आदेश पारित करवाने का आदेश फरमावें ।

पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण के पिता मूलसिंह का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दिनांक 06.06.2014 को देहान्त हो गया है मूलसिंह के माधोसिंह, आम्बसिंह, नरपतसिंह, उकसिंह, विजयसिंह व संतोषकर वारिशदारान है । अप्रार्थीण संख्या 01 संतोष कंवर ने इकबाली जवाब दिनांक 14.02.2017 को पेश किया गया है जिस अनुसार वाद के समस्त अवतरण स्वीकार कर वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाकर वाद को डिक्रित किया जाता है तो प्रतिवादीया को कोई उजर , आपत्ति अथवा एतराज नहीं है । अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने इकबाली जवाब दिनांक 19.06.2013 को पेश किया गया है जिस अनुसार वादीगण के दावा को सही बताया गया है । माफिक इस्तदुआ वाद डिक्रित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । प्रतिवादी संख्या 04 ने अपना जवाब दिनांक 08.09.2020 को पेश कर वाद के सभी अवतरणो को अस्वीकार किया गया है ।

भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि बंटवाड़ा में पैतृक भूमि के अलावा खरीदशुदा भूमी का हस्तान्तरण हो रहा है जिस कारण राजकीय राशी का नुकशान होगा शेष में कोई आपत्ति नहीं है ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2023 के अनुसार बंटवाड़ा दिनांक 25.07.2021 का अवलोकन किया गया उक्त बंटवाड़ा अनुसार आपस में समझोता होकर राजीनामा हो गया है । जिसमें पैतृक एवं संयुक्त परिवार में रहते हुए प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीद कर पुत्रों ओर पुत्रवधुओं के नाम खरीदशुदा भूमि को (क्लब) शामील कर 34.89 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित किया गया है । जिससे यह प्रतित होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में पैतृक एवं खरीदशुदा भूमि को सहखातेदारों की भूमि मानकर बंटवाड़ा की डिक्री करवाना चाहते है जिससे खरीदशुदा भूमि जो बैचान , दान या हकतर्क से हस्तान्तरण करने पर जो स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क सरकार को प्राप्त होगा उस राशी का नुकसान होने की सम्भावना है ।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 के प्रावधान अनुसार यदि जोत विभाजन सम्बधी दावें (वाद) के लम्बित रहने के दौरान सह आसामीयों के बीच कोई एग्रीमेन्ट (करार) करार हो जाता है , तो दावें को एग्रीमेन्ट (करार) की शर्तो के अनुसार डिक्री किया जायेगा ।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीण के मध्य राजीनामा होने के कारण प्राथमिक डिक्री की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 19 इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि जरिये डिक्री बंटवाड़ा से खरीदशुदा भूमि का जो हस्तान्तरण हो रहा है उसका स्टाम्प व पंजीयन शुल्क राजकोष जमा करवाने एवं वर्तमान भूमी पर अलग अलग बैंको के रहन है बैंके के रहन अदा करने बाबत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में सहमत होने से पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2023 एवं वाद को स्वीकार किया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर मौजा मूली एवं बागली में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है —

1. माधोसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखित बंट में रखी जाती है–

खसरा संख्या	रकबा
411 (ग्राम मूली)	3.42
410 ”	0.05

सहायक कलेक्टर-चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

482	"		
82/698 (ग्राम बागली)			1.25
83	"		0.01
82	"	में से	0.10
			1.94
			6.77

2. आम्बसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखित भूमी बंट मे रखी जाती है –

खसरा संख्या			रकबा
179 (ग्राम मूली)			1.79
180	"		4.58
180/1007	"		0.01
80	"	में से	0.93
			7.31

3. उकसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखत भूमी बंट में रखी जाती है–

खसरा संख्या			रकबा
447	(ग्राम मूली)		1.74
768	"		0.31
80	(ग्राम बागली)	में से	0.37
770	"		0.10
771/998	"	में से	0.05
448	"	में से	4.15
448/960	"	में से	0.17
			6.89

4. नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह के बंट में निम्नलिखित भूमी रखी जाती है–

खसरा संख्या			रकबा
86 (ग्राम बागली)			2.38
86/683	"		0.01
87	"		2.39
88	"		0.34
80	"	में से	1.60
80/696	"		0.01
448 (ग्राम मूली)		में से	[illegible]
			7.21

5. विजयसिंह पुत्र मूलसिंह के बंट में निम्नलिखित भूमी रखी जाती है–

खसरा संख्या			रकबा
80 (ग्राम बागली)		में से	5.18
78	"		0.01
79	"		0.02
448/96 (ग्राम मूली)		में से	0.35

न्यायालय सहायक कलेक्टर बितलवाना जिला जालोर

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

448	,,		
771 / 998	,,	में से	1.29
		में से	0.05
			6.90

6. आम्बसिंह उकसिंह विजयसिंह के हिस्से में रास्ता प्रयोजनार्थ जो राजहक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावें ।

खसरा संख्या		रकबा
80 (ग्राम बागली)	में से	0.05
82 ,,	में से	0.10
		0.15

उक्त विभाजन में पैतृक भूमि के अलावा खरीदशुदा भूमि का निम्नानुसार हस्तान्तरण हो रहा है बैचान 1.21 हैक्टर, दान 2.08 हैक्टर एवं विनिमय 2.03 हैक्टर अतः इनका निम्नानुसार स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क राजकोष जमा हाने के बाद तहसीलदार चितलवाना निर्णय की पालना करे , बैंके के रहन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करे । खर्चा अपना–अपना पक्षकारान वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

15/5/23

(हनुमानाराम)

सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकार सांचोर

सहायक कलेक्टर चितलवाना

(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

निर्णय आज दिनांक 19/05/2023 को मेरे द्वारा मजमे आम सुनाया गया।

15/5/2023

(हनुमानाराम)

सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकार सांचोर

सहायक कलेक्टर चितलवाना

(उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चितलवाना जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
Civil procedure code, Appendix "D"-1
अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम चितलवाना
कैम्पः– ग्राम पंचायत देवड़ा
इजलास हनुमाना राम आर0ए0एस0

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. माधोसिंह पुत्र मूलसिंह 2. आम्बसिंह पुत्र मुलसिह जाति राजपूत निवासी मूली , चितलवाना		1. मूलसिंह पुत्र दानसिंह फौत के कायम मुकाम क. संतोष कंवर पुत्री मूलसिंह 2 उकसिंह पुत्र मूलसिंह 3 नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह 4 विजयसिंह पुत्र मूलसिंह जातियान राजपूत निवासीगण मूली तहसील चितलवाना 5. भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना

दावाअन्तर्गत धारा 40 , 53 , 88 एवं 188 राज. काश्त. अधि. 1955

राजस्व वाद संख्या 344 / 2014

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान् एवं राज पेरोकार तहसीलदार चितलवाना मनजानिव मुद्दायलय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है कि :–

1. माधोसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखित भूमि बंट में रखी जाती है–

खसरा संख्या		रकबा
411 (ग्राम मूली)		3.42
410 "		0.05
482 "		1.25
82 / 698 (ग्राम बागली)		0.01
83 "		0.10
82 "	में से	1.94
		6.77

2. आम्बसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखित भूमी बंट मे रखी जाती है –

खसरा संख्या		रकबा
179 (ग्राम मूली)		[illegible]9
180 "		[illegible]58
180 / 1007 "		0.01
80 "	में से	0.93
		7.31

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

3. उकसिंह पुत्र मूलसिंह के हिस्से में निम्नलिखत भूमी बंट में रखी जाती है–

खसरा संख्या		रकबा
447 (ग्राम मूली)		1.74
768 "		0.31

15/5/23
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

80 (ग्राम बागली)	में से	0.37
770 "		0.10
771/998 "	में से	0.05
448 "	में से	4.15
448/960 "	में से	0.17
		6.89

4. नरपतसिंह पुत्र मूलसिंह के बंट में निम्नलिखित भूमी रखी जाती है–

खसरा संख्या		रकबा
86 (ग्राम बागली)		2.38
86/683 "		0.01
88 "		0.34
87 "		2.39
80 "	में से	1.60
80/696 "		0.01
448 (ग्राम मूली)	में से	0.48
		7.21

5. विजयसिंह पुत्र मूलसिंह के बंट में निम्नलिखित भूमी रखी जाती है–

खसरा संख्या		रकबा
80 (ग्राम बागली)	में से	5.18
78 "		0.01
79 "		0.02
448/96 (ग्राम मूली)	में से	0.35
448 "	में से	1.29
771/998 "	में से	0.05
		6.90

6. आम्बसिंह उकसिंह विजयसिंह के हिस्से में रास्ता प्रयोजनार्थ जो राजहक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावें ।

खसरा संख्या		रकबा
80 (ग्राम बागली)	में से	0.05
82 "	में से	0.10
		0.15

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चितलवाना उक्तानुसार बटवारा ... व डिक्री अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में अलग –अलग तरमीम कर ... अमल ... करे । ... खर्चा ... मय सूद व भरह –फसीदी –सालना मौजा मूली एवं बागली मुवलिंग –बाबत ... आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक – की अदा करे ।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई ।

13/3/23

(हनुमाना राम)
सहायक कलेक्टर चितलवाना

सहायक कलेक्टर चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

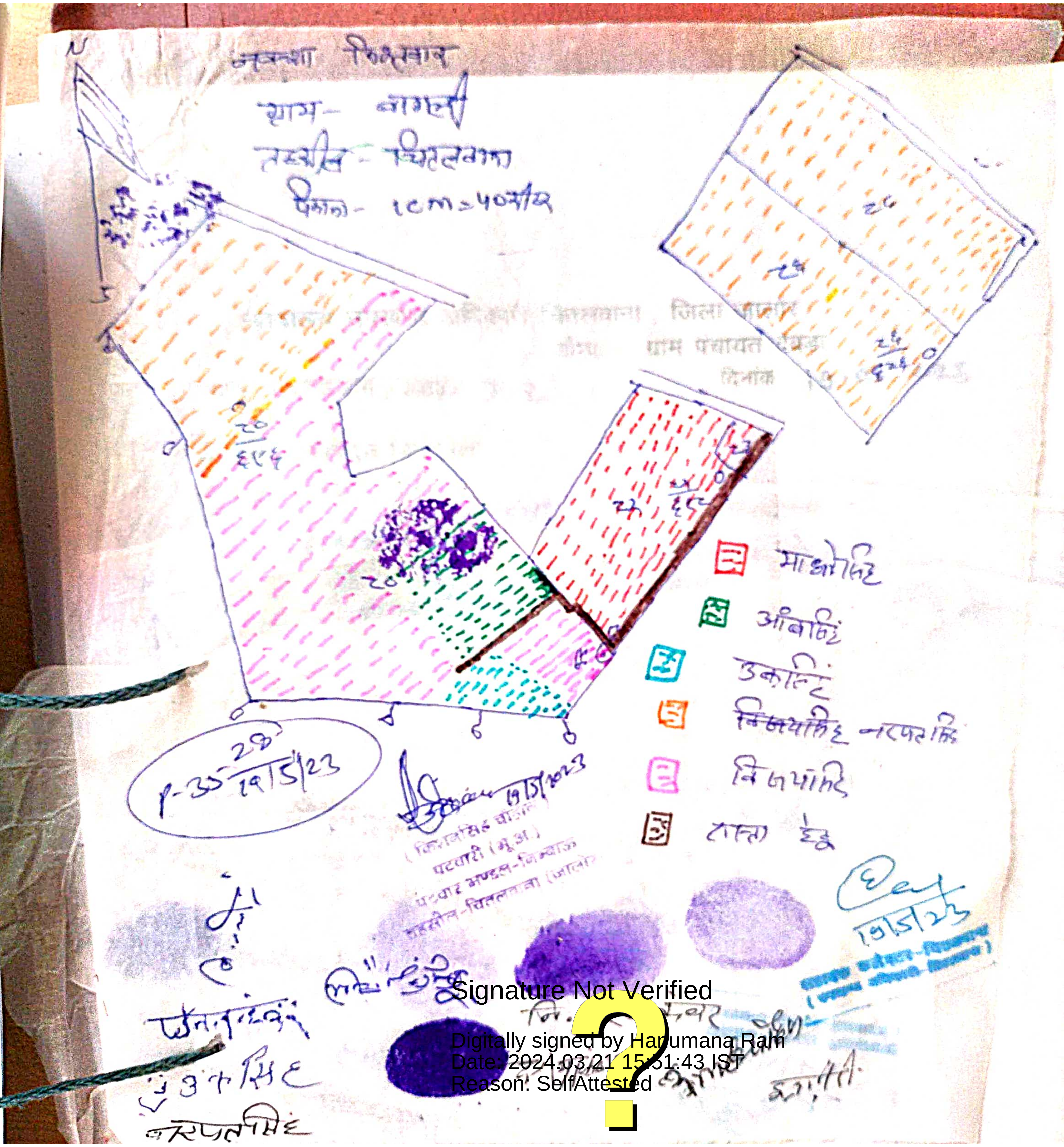

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:51:43 IST
Reason: SelfAttested